तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
20.04.23	पत्रावली पेश हुई।
	प्रार्थी के वकील उपस्थित।
	तहसीलदार समदड़ी से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।
	वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम पाबूपुरा की ख.सं. 10 रकबा 53.0 बीघा एवं ग्राम सिलोर के खं.सं. 260 व 318 कुल रकबा 79.03 बीघा भूमि के सह खातेदार का वास्तविक एवं रिकॉर्ड नाम पपूसिंह पुत्र भैरूसिंह होने के बावजूद विवादीत भूमि के रिकार्ड में भूलवश राजस्व कर्मियों ने पुखराज पुत्र भैरूसिंह दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भामाशाह कार्ड तथा स्कूली दस्तावेज - में उसका वास्तविक नाम पप्पूसिंह पुत्र भैरूसिंह ही दर्ज है। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों में अन्तर होने से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि के विकास हेतु सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पुखराज के स्थान पर पपूसिंह दर्ज करवाने हेतु [illegible] किया है।
	प्रार्थी वकील [illegible] तहसीलदार समदड़ी [illegible] रिपोर्ट पर आपत्ति व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि रिपोर्ट तैयार करने के दौरान पटवारी हल्का सिलोर द्वारा न तो प्रार्थी एवं उसके परिजनों से सम्पर्क किया गया, न ग्राम में मौजिज व्यक्तियों से प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:55:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वास्तविक नाम के सम्बन्ध में पूछताछ की गई और न ही प्रार्थी के दस्तावेज ही प्राप्त किये गये। पटवार मुख्यालय पर बैठे बैठे ही रिपोर्ट तैयार की गई। अन्त में प्रार्थी वकील ने उक्त रिपोर्ट को खारिज करते हुए पुनः तथ्यपरक रिपोर्ट तलब करने की मांग की। हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन तथा तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट के अनुसार भैरूसिंह के फौत होने पर दिनांक 03-01-06 को पारित ना. क्र. सं. 833 मौजा सिलौर एवं ना.क्र. स. 76 मौजा पाबूपुरा के जरिये प्रार्थी के भाइयों के साथ बतौर वारिस प्रार्थी का 'पुखराज' नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ, जो अनवरत रूप से चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज से यह साबित नही हो रहा है कि 'पुखराज' ही 'पपूसिंह' है, जहाँ तक नामान्तरण प्रक्रिया के जरिये राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई प्रविष्टि को चुनौती दिये जाने का प्रश्न है [illegible] राजस्व आवेदन जो कि सरसरी प्रक्रिया [illegible] नियमित वाद, [illegible] होकर है, जिसमें विवादित भूमि के समस्त खातेदारान को पक्षकार बनाकर एवं उन्हें सुनवाई का विधि सम्मत अवसर दिया जाकर उसके आधार	उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:55:56 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर इस
	पर घोषणा के जरिये विवाद की विषयवस्तु का निर्धारण किया जाना संभव है। लिखाजा प्रार्थी का आवेदन साक्ष्य पुष्ट नही होने से खारिज किया जाता है। आदेश खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाडमेर)	

सेवामें,

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:55:56 IST
Reason: SelfAttested